प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **97 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)
धीरेन्द्र सिंह पताः नोबल चैम्बर्स, बैंक ऑफ इण्डिया के पास, न्याय मार्ग, न्यायालय परिसर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार ऋषभदेव, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 15.05.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/97/25/642–43 दिनांक 02.07.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः 2025/775 दिनांक 28.07.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2025 को प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1, 2, 5, 6 व 7 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) उदयपुर से संबंधित होने से अति. जिला कलक्टर एवं प्रार्थी को पत्रांक 2025/352–354 दिनांक 21.05.2025 जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचित किया गया एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 3 व 4 के संदर्भ में पत्रांक 2025/350–351 दिनांक 21.05.2025 द्वारा उक्त सूचना तैयार कर नियमानुसार 2/– रुपये प्रतिपेज के हिसाब से कुल 12 पेज का शुल्क 24/– रुपये कार्यालय के बजट मद संख्या में जरिये चालान जमा करने हेतु रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक शुल्क जमा नहीं कराया गया। अतः प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा कराये जाने पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा बिन्दु संख्या 1, 2, 5, 6 व 7 की सूचना सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) उदयपुर से संबंधित होने से जरिये पत्रांक 2025/352–354 दिनांक 21.05.2025 लिखा गया तथा बिन्दु संख्या 3 व 4 से संबंधित सूचना तैयार कर अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 350–351 दिनांक 21.05.2025 से सूचना से संबंधित

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क जमा नहीं कराये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवांब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह चाही जा रही सूचना से संबंधित शुल्क सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार ऋषभदेव के कार्यालय में जमा करा चाही जा रही सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/25 को लिखवाया जाकर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर